

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म व में जारी
08.09.21	<p>पत्रावली बाद जाँच रिपोर्ट आज पेश हुई। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। अपील मियाद बाहर पेश की गई है। दर्ज रजिस्टर की जावे।</p> <p>अपीलाण्ट अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार यादव उपस्थित। उनके द्वारा यह अपील अदालत मातहत न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर की प्रमाणित फर्द अहकाम दिनांक 19.11.20 से मियाद बाहर पेश की गई।</p> <p>अपीलाण्ट द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत अदालत मातहत न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर के आदेश दिनांक 19.11.20 के विरुद्ध पेश की गई, जिसमें असल प्रतिवादीगण/अपीलाण्ट को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी पेशी 18.12.20 तक विवादित आराजी ख.नं. 622 रकबा 0.61, 623 रकबा 0.36, 624 रकबा 0.20 कुल किता 3 रकबा 1.17 वाके ग्राम दादर तहसील मालाखेड़ा में मौके एवं राजस्व की यथास्थिति बनाये रखने एवं नवनिर्माण नहीं करने हेतु पाबंद किया गया है। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा अपील प्रस्तुत की गई।</p> <p>अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजी ख.नं. 622 रकबा 0.61, 623 रकबा 0.36, 624 रकबा 0.20 कुल किता 3 रकबा 1.17 वाके ग्राम दादर तहसील मालाखेड़ा में स्थित है, जिस आराजी में वादी/रेस्पोडेण्ट तथा अपीलाण्ट/प्रतिवादी आराजी के सहखातेदार हैं। वादीगण/रेस्पो0 ने तहत अदालत में दावा व प्रार्थना पत्र गलत तरीक पर महज मिन अपीलाण्ट को तंग व परेशान करने के लिए व नाजायज फायदा उठाने के लिए बेवजह रंजिश दायर कर दिया। तहत अदालत द्वारा दिनांक 19.11.20 को बिना पक्षकारान की तलबी कराये तथा बिना प्रतिवादी अपीलाण्ट को सुनवाई का मौका प्रदान किये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कर प्रतिवादीगण को पाबंद कर दिया गया। विवादित आराजी में रेस्पोडेण्ट वादीगण के अलावा अपीलाण्ट प्रतिवादी एवं तरतीबी रेस्पो0 को हित निहित है इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कतई गौर नहीं किया गया। अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर तहत अदालत के आदेश दिनांक 19.11.20 को अपास्त किया जावे।</p> <p>अपीलाण्ट द्वारा अपील मीमो के साथ प्रार्थना पत्र दफा 05 मियाद अधिनियम, अदालत मातहत के फर्द अहकाम की प्रमाणित प्रति, राजस्व रिकॉर्ड एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया।</p> <p>प्रार्थना पत्र दफा 05 मियाद अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 19.11.20 की जानकारी सर्वप्रथम उस समय हुई जब वादी रेस्पो0 ने मिन अपीलाण्ट से कहा कि तुम्हारे खिलाफ तहत अदालत से एकपक्षीय आदेश अस्थाई निषेधाज्ञा का पारित हो गया है। आदेश की जानकारी होने पर नकल का आवेदन प्रस्तुत करके दिनांक 10.08.21 को नकल प्राप्त की। तत्पश्चात वकील साहब से कानूनी मशवरा किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी के अभाव में आदेश दिनांक 19.11.20 से दिनांक 10.08.21 तक का जो समय व्यतीत हुआ, वह नेकनियति व युक्तियुक्त कारण से काबिल माफी तथा म्याद में मुजरा दिये जाने योग्य है।</p> <p>अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र दफा 05 मियाद अधिनियम की एकपक्षीय बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि</p>	

गया। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा आलोच्य निर्णय पारित करते समय तीन तथ्यों प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सही विवेचन नहीं किया गया। अपीलान्ट अपनी आराजी पर कोई निर्माण कार्य नहीं कर रहा है। अपीलान्ट/प्रतिवादी के खातेदार अधिकार का हनन किया गया है। अपीलान्ट विवादित आराजी का सहखातेदार काश्तकार है तथा वादी रेस्पोजेण्ट के साथ समान अधिकार रखता है, जिस ओर तहत अदालत ने कतई गौर नहीं फरमाया। इसके अतिरिक्त लगभग दस माह उपरान्त भी निर्णय अन्तिम रूप से नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुए तहत अदालत द्वारा पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 19.11.20 को अपास्त किया जावें।

हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपील के तथ्यों का अवलोकन किया गया और अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 19.11.20 का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अपीलान्ट द्वारा सशपथ सत्यापित किया है। यह सही है कि अपील निर्णय एवं डिक्री के करीब 10 माह पश्चात प्रस्तुत की गई है, परन्तु मातहत अदालत द्वारा आदेश जारी करने से पूर्व अप्रार्थी अपीलान्ट को तलब नहीं किया गया। इस कारण अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधि. के साथ संलग्न शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। विभिन्न माननीय न्यायालयों में मियाद बिन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की पूर्ण पीठ के निर्णय रिविजन/एसआर/9867/2012/नागौर निर्णय दिनांक 12.03.2014 द्वारा एक राजस्व न्यायालय को एकपक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधि0 1955 में सक्षमता के बारे में विस्तृत विवेचन किया गया है। इस विवेचन के अनुसार एक राजस्व न्यायालय को, अपवादस्वरूप स्थिति में, एकपक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की सक्षमता, राज0 काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत है, यदि प्रथम दृष्टया, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के तीन महत्वपूर्ण घटक प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित पाये जाते हैं।

द्वितीय महत्वपूर्ण बिन्दु कि क्या ऐसे आदेशों की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी को धारा 225 राज0 काश्तकारी अधि0 1955 के अन्तर्गत ग्रहण करने की सक्षमता है? इसके विवेचन में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत जारी किये गये एकपक्षीय या अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेशों को सुनने की क्षेत्राधिकारिता है, परन्तु आगामी पेशी तक प्रभावी रहने वाले आदेशों के लिये नहीं है।

इस बाबत माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा निम्नलिखित मार्गदर्शन परीक्षण न्यायालय हेतु जारी किये गये हैं—

1. प्रथम तो परीक्षण न्यायालयों को ऐसे आदेश जारी करने से बचना चाहिए, परन्तु परिस्थितियों की माँग है तो, धारा 212 के तीनों घटकों की निम्नलिखित

3. परीक्षण न्यायालय को ऐसे आदेशों की सूचना अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाने का प्रावधान बाध्यकारी है।

4. परीक्षण न्यायालयों के लिए यह बाध्यकारी है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के ऐसे आदेश जो एकपक्षीय आदेश आदेश 39 नियम 3ए सीपीसी के तहत दिये गये हैं, उनको 30 दिवस की अवधि में निस्तारित किया जाना चाहिए।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुख्य बहस पर मनन किया गया। जमाबन्दी ग्राम दादर तहसील मालाखेड़ा सम्वत् 2075 में अपीलाण्ट व रेस्पोजेण्ट सह काश्तकार हैं। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के अनेक दृष्टांतों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि एक सहखातेदार को दूसरे सहखातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा से निर्बंधित नहीं किया जा सकता है, जब तक कि विवादित आराजियात पर कोई निर्माण कार्य न करें। अदालत मातहत के आदेशिक दिनांक 26.06.20 में प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया, परन्तु आदेशिका दिनांक 19.11.20 को अप्रार्थी/अपीलाण्ट को बिना सुने ही एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गई। आदेश में इस बात का अंकन कहीं नहीं है कि क्या अप्रार्थी द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है और उक्त आदेश से पूर्व क्या अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए उस दिनांक को कोई प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा पेश किया गया है।

द्वितीय, अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं की व्याख्या नहीं की गई है कि किस प्रकार ये तीनों घटक प्रार्थी/रेस्पोजेण्ट के पक्ष में हैं।

तृतीय, अदालत मातहत द्वारा 10 माह व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अन्तिम निर्णय पारित नहीं किया गया है।

चतुर्थ, अदालत मातहत द्वारा पूर्ण पीठ का निर्णय दिनांक 12.03.2014 के मार्गदर्शनों की पालना नहीं की गई है।

पंचम, तहत अदालत की आदेशिका में ऐसी किसी परिस्थिति का उल्लेख नहीं है कि प्रकरण 'अत्यन्तावश्यकता' का है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट की अपील स्वीकार की जाती है। अदालत मातहत के आदेश दिनांक 19.11.20 को प्रचलन से स्थगित किया जाकर अदालत मातहत को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्षों को 'सुनवाई का युक्तियुक्त' अवसर प्रदान करते हुए एक माह की अवधि में निस्तारण करें। निर्णय की एक प्रमाणित प्रति अदालत मातहत को प्रेषित की जावे।

आदेश आज दिनांक 08.09.21 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाकर दाखिल दफ्तर किया जावे।

8/9/21

जे.डी.एच. कर्त  
SDO मालाखेड़ा  
720 को नः  
10.9.21

800  
23.9.21